

राजस्थान सरकार



## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 673/80-01-197

यह प्रमाणित किया जाता है कि चित्तूर नैस एकेडेमिक सोसाइटी

जलवर जिला जलवर  
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान  
अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया  
गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज  
दिनांक अठारह माह मार्च सन् एक हजार नौ सौ इक्यात्तीस  
जयपुर में दिया गया।

अमोलक चंद जैन  
रजिस्ट्रार संस्थाएँ, राजस्थान,  
जयपुर।

राजकीय मुद्रणालय, उदयपुर।